संख्या:1/2018/12/35-4-2018

प्रेषक ,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 05 जनवरी,2018

विषय: वर्ष 2017-18 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक मा0 सदस्य विधान सभा एवं मा0 सदस्य विधान परिषद को 100-100 हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त से संबंधित शासनादेश संख्या: 70/2017/642/35-4-2017 दिनांक 27 अक्टूबर,2017 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रति हैण्डपम्प अधिष्ठापन की औसत दर रू.45000/- के आधार पर प्रत्येक मा0 सदस्य विधान सभा एवं प्रत्येक मा0 सदस्य विधान परिषद हेतु कुल 50300 हैण्डपम्पों की रू. 22635.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर,2017 द्वारा अवमुक्त रू. 5000.00 लाख की धनराशि को प्रथम किश्त के रूप में आंकलित किया जायेगा। हैण्डपम्प अधिष्ठापन के कार्यों के लिये जनपद बनारस, इलाहाबाद, फैजाबाद, झांसी, शाहजहॉपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली तथा अलीगढ़ हेतु यू.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि0 एवं शेष जनपदों के लिए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम होगी। इस सीमा तक उक्त शासनादेश को संशोधित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- प्रति हैण्डपम्प रू. 45000/- दर प्रदेश की औसत दर है तथा भुगतान वित्तीय नियमों के अनुसार होगा।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त रू. 5000.00 लाख की धनराशि का नियमानुसार उपयोग करते हुये अतिशीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र रूप पत्र 42-। पर उपलब्ध कराया जायेगा।
3- हैण्डपम्पों हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त,2017 में निहित व्यवस्था के अधीन प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जायेगा और जनपद बनारस, इलाहाबाद, फैजाबाद, झांसी, शाहजहॉपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली तथा अलीगढ़ के कार्यों हेतु प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि0 को धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।
4- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर,2017 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:1/2018/12(1)/35-4-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास/नगर विकास/कृषि।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8- प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि0।
8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10-समस्त उप निदेशक अर्थ एवं संख्या,उ0प्र0।
11-गार्ड फाईल।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13-राज्य योजना आयोग-1
14-समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से ,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।